संख्या-105/2020/2987/22-2-2019-17(1008)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2020***

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममूरत पुत्र श्री राम भजन, निवासी- जिला-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33451/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-26.09.2019 दिनांक 15.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममूरत पुत्र श्री राम भजन, जो-कढेरा, थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.08.1989 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी रामलखन व सत्य प्रकाश पर सोते समय गडासा, बांका, कांता व भाला से हमला किया, जिससे गम्भीर चाटें आयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-569/1992 धारा 326 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02 जनपद सीतापुर के आदेश दिनांक 23.11.1996 द्वारा 10 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2016 द्वारा 10 वर्ष के कारावास को लघुकृत करते हुए 05 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.08.2018 द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी अपरिहार सजा 02 वर्ष, पुलिस अधीक्षक की 05 बिन्दु की आख्या एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राममूरत (बंदी संख्या-370/2016) पुत्र श्री राम भजन, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-105/2020/2987(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in